

खण्ड विकास अधिकारी का बोरिंग प्रमाण-पत्र संस्तुति

(अ) प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक का बोरिंग कार्य क्षेत्र नं. 89/437 में पूर्ण है।

अतः 10.11.18 अथवा शक्ति प्रभार स्वीकृत करने की संस्तुति की जाती है।

(ब) मेरे द्वारा साइट की जाँच करवाई गई। बोरिंग पूर्णतः सफल है अतः विद्युत नलकूप कनेक्शन देने की संस्तुति की जाती है। आवेदक बोरिंग प्रमाणित स्थल का स्वामी है।

सहाय्य स्थलीय नलकूप में जोड़ कर बोरिंग स्थित है जो नलकूप पूर्वके नदि कर रहा है

(Signature)
 विकास अधिकारी
 सिहावर (कासगंज)

मैं 399 भा. न. सि. पुत्र/पत्नी श्री 21 म-च-9 घोषणा करता हूँ कि

- (1) मैं ग्राम नं 30 मोड ब्लॉक सिहावर जिला-कासगंज का मूल निवासी हूँ।
- (2) मैं अपने नाम निजी नलकूप का कनेक्शन ले रहा हूँ।
- (3) यह है कि सह खातेदारों ने अपनी सहमति दे दी है यदि कोई वाद-विवाद पाया गया तो उसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा।
- (4) मैं स्वेच्छापूर्वक प्रकमण शुल्क/प्राथमिकता शुल्क जमा करने को तैयार हूँ।
- (5) जब भी विभाग में सामान उपलब्ध होगा तभी कनेक्शन दिया जायेगा जिसकी मैं प्रतीक्षा करूँगा किसी भी प्रकार की मेरे द्वारा की गई कार्यवाही अवैध होगी।
- (6) मेरा स्वयं का शपथ पत्र संलग्न है।
- (7) सह खातेदारों का शपथ पत्र संलग्न है।
- (8) खतरा स्वतंत्रता संलग्न है।
- (9) विद्युत का पूर्व का ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है जिस पर बिल एकठाया हो या कोई बिजिलेंस आदि की कार्यवाही चल रही हो अथवा स्थाई विच्छेदन कार्यवाही लम्बित हो।
- (10) प्राथम्य-पत्र सार्वजनिक स्वयं के आग्रह पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। समय-समय पर विभाग के जारी योजना आदेश प्रभावी होंगे, नियम एवं शर्तें जारी होने के बाद एक माह में अनुबन्ध न करने पर प्राथम्य-पत्र स्वतः ही निरस्त हो जायेगा।
- (11) मैं पूर्ण जना योजना में कनेक्शन लेना चाहता हूँ।
- (12) मैं जानता हूँ कि यदि मैं कोई गलत/असत्य सूचना पर संयोजन ले रहा हूँ तो मेरे खिलाफ कानूनी कार्यवाही होगी व संयोजन फाट दिया जायेगा।

प्रमाणित करता हूँ कि आवेदक ने मेरे समक्ष हस्ताक्षर किये हैं।

(Signature)
 हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

आवेदक का नाम 399 भा. न. सि.

(प्रधान/ब्लॉक प्रमुख/बी. डी. ओ. या अन्य किसी अधिकारी के हस्ताक्षर)

पिता का नाम 21 म-च-9

नाम

पता

पता 21 म-च-9

मुहर

डा. मोहनपुर जिला-कासगंज

दिनांक

9411999523

56
 23-24